

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3884]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941
No. 3884]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

का. आ. 4323(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 9 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5668(अ), तारीख 9 नवंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, 'धारा 5क की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियोक्ताओं के प्रतिनिधि' शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 29 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“29. श्री एस. के. शर्मा,

उद्योगों और संस्थान का संगम।”

[फा. सं. वी-20012/1/2017-एसएस-II]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2019

S.O. 4323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of Government of India, in Ministry of Labour and Employment, S.O. 5668(E), dated the 9th November, 2018, published in the Gazette Of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 9th November, 2018, namely:-

In the said notification, under the heading 'Representatives of employers under clause (d) of sub-section (1) of section 5A,' for serial number 29 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“29. Shree S. K. Sharma, Association of Industries and Institution.”

[F. No. V-20012/1/2017-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.